

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-2 / स्था० / पदस्था०-4-4 / 2012-170

राँची / दिनांक 11.01.13

प्रेस विज्ञप्ति

विभागीय अधिसूचना सं०-4518 दिनांक 31.08.2012 द्वारा कुछ कनीय अभियन्ताओं की सेवा सुवर्णरेखा परियोजना में दी गई थी। उनमें से कुछ कनीय अभियन्ताओं द्वारा सुवर्णरेखा परियोजना में अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा ऐसे कनीय अभियन्ताओं को विभागीय आदेश सं०-133 दिनांक 10.01.2013 द्वारा निलंबित कर दिया गया है जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट wrdjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।

इस प्रकार निलंबित कनीय अभियन्ता जिस दिन अपने पूर्व के पदस्थापन स्थान का पूर्ण प्रभार सौंपकर अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान कर लेंगे उस दिन से वे स्वतः निलंबन मुक्त समझे जाएंगे।

निलंबन आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार योगदान नहीं करने की स्थिति में सरकार के आदेश की अवहेलना के लिए संबंधित कनीय अभियन्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

ह० / -

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)
जल संसाधन विभाग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :- 170

राँची / दिनांक :- 11.01.13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को (सी०डी० सहित) सभी दैनिक समाचार पत्रों के नगर एवं क्षेत्रीय संस्करण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की एक-एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अघोहस्ताक्षरी को भी प्राप्त कराने की कृपा की जाए।


ह० / -

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 170

राँची / दिनांक :- 11.01.13

प्रतिलिपि :- वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)